



**गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)**  
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)  
**GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)**  
(A Central University established by the Central University Act., 2009 NO.25 of 2009)  
Web Site – [www.ggu.ac.in](http://www.ggu.ac.in), ph. No. 07752-260342, fax No. 07752-260148,154

क्रमांक **605** / अका. / 2019

बिलासपुर, दिनांक **22-3-2019**

**कार्यालयीय ज्ञाप**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07-03-2019 के विषय क्र0-3 के संबंध में  
निर्णय निम्नानुसार लिया गया है :—

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी (एम.फिल / पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) में (प्रथम संशोधन) विनियम-2018 को अंगीकृत कर लिया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि वर्तमान में जारी VRET प्रवेश सूचना के लिए इस संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया जाय एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा तथा प्रवेश में विनियम में उल्लेखित प्रावधानों का पालन किया जाय।

आदेशानुसार

  
**कुलसचिव (कार्यवाहक)**

**प्रतिलिपि :-**

- 1— कुलपति / कुलसचिव जी के सचिव / निज सहायक को मान0कुलपति / कुलपति जी के सूचनार्थ।
- 2— अधिष्ठाता, समस्त अध्ययनशाला, गुरु घासीदास विविविलासपुर की ओर सूचनार्थ।
- 3— समस्त, विभागाध्यक्ष, शिक्षण विभाग, गुरुघाठविविलासपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4— समन्वयक, आई.टी. सेल, विश्वविद्यालय वेबपटल में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- 5— सहायक कुलसचिव, प्रशासन / विकास विभागों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6— कार्यालय प्रति।

  
**सहायक कुलसचिव (अका0)**